संख्या- 240 /2024/1492/चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 10 जून, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-5 में उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-09/उपयोग प्रमाण पत्र/2023-24/17 दिनांक 03 मई, 2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम किश्त के रूप में रू0 13.75 लाख (रूपये तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इस उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ का होगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षो में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

8. उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत/अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 13,75,000 (रूपये तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या**-092 **लेखाशीर्षक** 2205001011600 उ.प्र. जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 240 /2024/1492(1)/ चार-2024,तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5 मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in